

16/3/20

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप-
वकूलाय फरकित की बहस सुनी गई।
साथ ही वकील अप्रार्थी ने 2 citations
अपनी बहस के समर्थन में पेश किए।
हमने बहस पर मनन किया और पत्रावली
का अवलोकन किया। पूर्व में वकील प्रार्थी
ने एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 4 का
नाम हजफ करने बाबत पेश किया जिसे
स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 4 रमेश
का नाम हजफ किया जाता है। बहस
व पत्रावली के अवलोकन के पश्चात
न्यायालय इस नतीजे पर पहुँचा है
के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र restoration
न्यायाहत में रु. 100 कोर्ट पर स्वीकार
किया जाकर मुकदमा नं. 15/16 उनवान
लड्डू बनाम रामनाथ में पारित
औदेश दिनांक 27/1/2020 को अपास्त
किया जाकर औदेश दिया जाता है के
मूल दावा सं. 15/16 उक्त उनवानी को
पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई
हेतु दिनांक 31/3/2020 को पेश है।
पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से
कम होकर मूल दावे की पत्रावली के साथ
संलग्न रहे।

सहायक कलेक्टर

मु० सवाई माधोपुर

